

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

No. 468/XXVI-07 (2020-2021) Government of Uttarakhand Office of the District Collector-----

Dated 16/06/2021

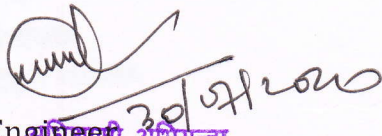
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.00 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **(Public Works Deptt. Kirtinagar)** for **(Chunnikhal-Noda-Tegad Motor Road)** in district falls within jurisdiction of village **(Noda,Dhouliyana,Duggada)** in **Kirtinagar** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **5.2175 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **23** to annexure **23.2**
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

EucL: As above.



Executive Engineer
T.D.PWD Kirtinagar
श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर

Signature

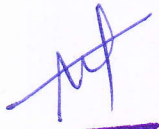
District Collector
Distt. Tehri Garhwal
New Tehri
जिलाधिकारी
टीहरी गढ़वाल

It is further certified that – Minutes of meeting of Chunnikhal-Noda-Tegad Motor Road (11.650 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.2175 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य

टिहरी गढ़वाल


सदस्य
जिला पंचायत
34 बिलेडी टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी

टिहरी गढ़वाल

प्रभागिक वन अधिकारी

नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि की रेती (डि० न०)

मुनि की रेती(टिहरी गढ़वाल)

Signature

(Distt. Collector)

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Mangesh Ghindiyal I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **5.2175** Hectare for the construction of **Chunnikhal-Noda-Tegad Motor Road** in Tehsil **Kirtinagar** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

Signature

Executive Engineer
T.D.PWD Kirtinagar

(Signature)
30/11/2020
प्रमाणित अभियन्ता
गणेश नारायण लो० नि० वि०
श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर

Signature

District Collector
District Tehri Garhwal
New Tehri

(Signature)
प्रमाणित
टिहरी गढ़वाल

प्रारूप-23.2

परियोजना विवरण:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 347/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 11.650 कि०मी०)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु कुल 3.3280 है० नाप भूमि (0.3285 है० डम्पिंग जोन सहित), 2.2365 है० सिविल सोयम वन भूमि, 0.000 है० वन पंचायत भूमि, तथा 2.9810 है० आरक्षित वन भूमि (0.062 है० डम्पिंग जोन सहित), की आवश्यकता होगी। जिसमें से कुल 5.2175 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कीर्तिनगर) की दिनांक 08.09.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री साकांशा वमरि (IAS) उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री साकांशा वमरि (IAS) उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर अध्यक्ष
- 2- श्री डी० पी० बलोनी उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग सदस्य
- 3- श्री मतो आशोषी सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव
- 4- श्री विजेन्द्र सिंह पंवार बी०डी०सी० क्षेत्र दालदुंग सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 11.650 कि०मी०) परियोजना हेतु 5.2175 है० वनभूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

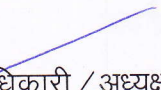
संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग, उप वन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम,

2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 11.650 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु 5.2175 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

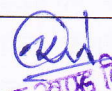
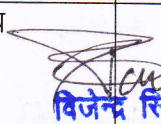

 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील-कीर्तिनगर
 जनपद टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील-कीर्तिनगर
 जनपद टिहरी गढ़वाल

परियोजना विवरण:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 347/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 11.650 कि०मी०)।

दिनांक...०८.०९.२०२० उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद टिहरी गढ़वाल

1	श्री आकांक्षा वर्मा (IAS)	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2	श्री डी० पी० कर्मोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	उप प्रभागीय वनाधिकारी (देवप्रयाग) नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
3	श्री आशिष (AAS)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	 सहायक खण्ड विकास अधिकारी कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल
4	श्री विजेन्द्र सिंह पवार	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत	सदस्य	 विजेन्द्र सिंह पवार क्षेत्र पंचायत सदस्य (वालदुंग) बडियारगढ़ ब्लॉक कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 347/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(लम्बाई 11.650 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-मोलधार,(सरमोली)

तहसील कीर्तिनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (3.3280 है० नाप भूमि (0.3285 है० मक डम्पिंग जोन सहित), 2.2365 है० सिविल भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि, 2.9810 है० आरक्षित वन भूमि (0.062 है० मक डम्पिंग जोन सहित) अर्थात् कुल 5.2175 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मोलधार,(सरमोली) द्वारा दिनांक 24/07/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत-मोलधार,(सरमोली) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि० ख० कीर्तिनगर (टि० ग०)



ग्राम प्रधान

दिनांक-24/07/2020 को ग्राम पंचायत की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति का प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक 24/07/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - मोलधार, (सरमोली)

[illegible]

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...
पि० जा० कीर्तिनगर (पि० ग०)



ह0 / -
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 347/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 11.650 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-दालदुंग

तहसील कीर्तिनगर, जिला-टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (3.3280 है० नाप भूमि (0.3285 है० मक डम्पिंग जोन सहित), 2.2365 है० सिविल भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि, 2.9810 है० आरक्षित वन भूमि (0.062 है० मक डम्पिंग जोन सहित) अर्थात् कुल 5.2175 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

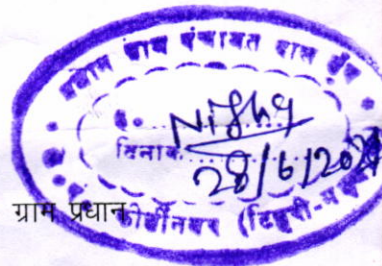
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दालदुंग द्वारा दिनांक 28/6/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत-दालदुंग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - दालदुंग
वि० ख० - कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

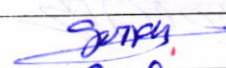
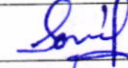
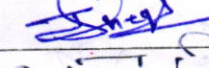
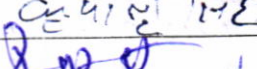
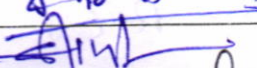
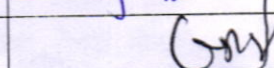
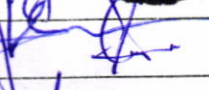
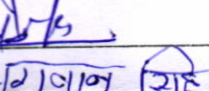
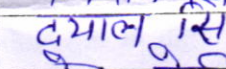
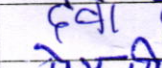
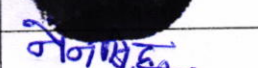
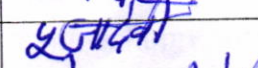
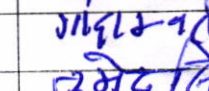
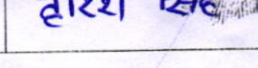
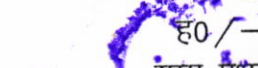
28/06/2020



दिनांक-..... को ग्राम पंचायत की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति का प्रमाण पत्र संलग्न है।

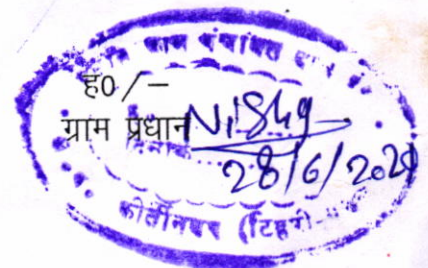
दिनांक 28/6/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - दालढुंग

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुभा सिंह	
2	सनील सिंह	
3	जी जीवन सिंह नेगी	
4	श्री दयाल सिंह नेगी	
5	रामगोपाल सिंह - 39 - प्रधान दालढुंग	
6	दिनेश कण्डारी	
7	अश्वीर सिंह अर्या	
8	लीला देवी	
9	विनोद सिंह	
10		
11	सुरज सिंह	
12	Vikram Singh	
13	भगवान सिंह	
14	दयाल सिंह	
15	देवा देवी	
16	प्रेम सिंह	
17	सूरज सिंह	
18	नेम सिंह	
19	पूजा देवी	
20	गोदावरी देवी	
21		
22	उमेश सिंह	
23	कमला देवी	
24	शालू सिंह जगड़ा	
25	हरिश सिंह जगड़ा	

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि० ख० - कीर्तिनगर
टिहरी गढ़वाल

28/06/2020



परियोजना विवरण:-

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 347/2018 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।(लम्बाई 11.650 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - नौडा, धौलिघाणा
तहसील - कीर्तिनगर, जिला - टिहरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अन्तर्गत चुन्नीखाल-नौड़ा-तेगड़ मोटर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण 3.3280 है० नाप भूमि (0.3285 है० डम्पिंग जोन सहित), 2.2365 है० सिविल सोयम वन भूमि, 0.000 है० वन पंचायत भूमि, तथा 2.9810 है० आरक्षित वन भूमि (0.062 है० डम्पिंग जोन सहित), की आवश्यकता होगी। जिसमें से कुल 5.2175 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नौड़ा, धौलियाणा द्वारा दिनांक 27-7-2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौड़ा, धौलियाणा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

८०/-

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत

विकास खण्ड - कीर्तिनगर

ग्राम सचिव

मुहर सहित



ग्राम प्रधान / सरपंच

मुहर सहित

दिनांक 27.7.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति का प्रमाण पत्र संलग्न है।

प्रपत्र.

दिनांक 27.07.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम-पंचायत- नौडा, धौलपुर

1	अवधि	अवधि	अवधि
2	2.10.18 लिख	2.10.18 लिख	2.10.18 लिख
3	देवेंद्र सिंह देवी	देवेंद्र सिंह देवी	देवेंद्र सिंह देवी
4	Gambhvir Singh	Gambhvir Singh	Gambhvir Singh
5	परमेश्वरी देवी	परमेश्वरी देवी	परमेश्वरी देवी
6	प्राणदेवी	प्राणदेवी	प्राणदेवी
7	अनिल	अनिल	अनिल
8	अनिल देवी	अनिल देवी	अनिल देवी
9	अनिल सिंह देवी	अनिल सिंह देवी	अनिल सिंह देवी
10	अनिल	अनिल	अनिल
11	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
12	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
13	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
14	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
15	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
16	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
17	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
18	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
19	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
20	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
21	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
22	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
23	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
24	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
25	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
26	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
27	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
28	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
29	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
30	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
31	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
32	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
33	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
34	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
35	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
36	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
37	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
38	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
39	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह
40	अनिल सिंह	अनिल सिंह	अनिल सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नौडा, धौलपुर
विकास खण्ड - कीर्तिनगर

